सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/47 दर्ज तिथिः–02.02.2023

1. जगदीश पुत्र हरू
2. मूलाराम पुत्र हरू
3. रूखमण पत्नी हरू

जाति विश्नोई निवासी लूणवा चारणान तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजाराम पुत्र पेमाराम
2. भेराराम पुत्र पेमाराम
3. भाखरा पुत्र पेमा
4. सुण्डी पत्नी पेमा
5. चूना पुत्र पेमा
6. लाडू पुत्र जेठा
7. जसराज पुत्र जेठाराम
8. चूकी पत्नी जेठाराम
9. केसाराम पुत्र कोजाराम
10. गंगाराम पुत्र कोजाराम
11. गणपत पुत्र कोजाराम
12. बालाराम पुत्र कोजाराम
13. भगवानाराम पुत्र कोजाराम
14. जीयादेवी पत्नी कोजाराम
15. आसूराम पुत्र हीराराम
16. गणपतलाल पुत्र हीराराम
17. दीपाराम पुत्र हीराराम
18. पूनमाराम पुत्र हीराराम
19. रायचंद पुत्र हीराराम
20. सांवलाराम पुत्र हीराराम
21. सुवटी पत्नी हीराराम
22. बाबूलाल पुत्र वरिंगाराम
23. रामलाला पुत्र वरिंगाराम
24. अणसीदेवी पत्नी वरिंगाराम
25. किसना पुत्र चौथाराम
26. धापूदेवी पत्नी चौथाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

27. भूराराम पुत्र चौथाराम
28. सेनाराम पुत्र चौथाराम
29. अमरू पत्नी उदा
30. खंगाराम पुत्र तुलछाराम
31. बिरबलराम पुत्र तुलछाराम
32. सुरताराम पुत्र तुलछाराम
33. सुखराम पुत्र उदाराम
34. भूरा पुत्र उदा
35. पांचा पुत्र भारता
36. पाबू पुत्र भारता
37. भारमल पुत्र भारता
38. माना पुत्र भारता
    जाति विश्नोई निवासी लूणवा चारणान तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

................असल विप्रार्थीगण

39. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी
40. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी।
41. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. बैंक शाखा गुड़ामालानी
42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—श्री मोहनलाल विश्नोई
श्री जगदीश कड़वासरा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 37/38.4936 है0 मौजा लूणवा चारणान तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 36/34.4387 है0 मौजा लूणवा चारणान से होते प्रार्थीगण के खेत तक विद्यमान रास्ता मौके पर चालू है। उक्त विद्यमान रास्ते में खसरा संख्या 36/34.4387 है0 मौजा लूणवा चारणान में प्रार्थीगण के आने—जाने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है तथा विप्रार्थीगण वक्त काश्त उक्त खसरों में काश्त कर लेते हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपने जोत तक आने—जाने से बाधित हो जाते हैं। अतः खसरा संख्या 36/34.4387 है0 मौजा लूणवा चारणान में से होकर करीब 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03, 09, 12, 14, 22 ता 24 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रदान की। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 02, 06, 07, 18, 19, 25 ता 27 द्वारा सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी हाजा न्यायालय के पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1374 दिनांक 08.08.2024 से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2278 दिनांक 11.11.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2278 दिनांक 11.11.2024 को मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा निम्न प्रकार है—

सत्यमेव जयते
गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : [redacted]2024 01:52:00 PM

तहसील : गुढामलानी भू. अ. नि. क्षेत्र :रतनपुरा

ग्राम : लूणवा चारणान

नजरीय नक्शा मौका ग्राम लूणवा चारणान

न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी के न्यायालय में नम्बर वाद संख्या 4/2023 निर्णय दिनांक 8.8.2024 अनवान जगदीश बनाम तेजा

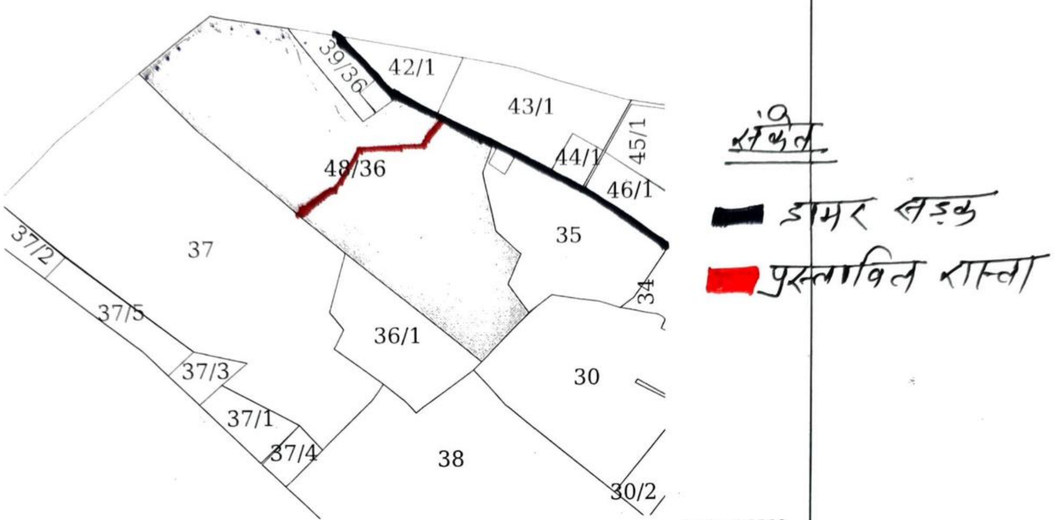

Scale 1:2000

36 क्षेत्रफल : 34.4387 Hectare खाता संख्या : 19पुराना खाता संख्या :16
फल लगान]: बा.सोयम [34.4387, 13.43]
विरीगाराम हसि्सा- 1/25 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBI शाखा गुडामालानी
ा हसि्सा- 1/150 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBBJ शाखा गुडामालानी
हसि्सा- 1/50 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBBJ शाखा गुडामालानी
जेठाराम हसि्सा- 1/150 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
कोजाराम हसि्सा- 1/50 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
हसि्सा- 1/50 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBI शाखा गुडामालानी
हीराराम हसि्सा- 1/35 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
हीराराम हसि्सा- 1/35 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
वरीगाराम हसि्सा- 1/25 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBI शाखा गुडामालानी
कोजाराम हसि्सा- 1/50 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
र तुलछाराम हसि्सा- 1/25 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
हसि्सा- 1/25 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBBJ शाखा गुडामालानी
त्र कोजाराम हसि्सा- 1/50 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
हसि्सा- 1/25 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBBJ शाखा गुडामालानी
हसि्सा- 1/50 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBI शाखा गुडामालानी
चौथाराम हसि्सा- 1/15 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBBJ शाखा गुडामालानी
मा हसि्सा- 1/50 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBI शाखा गुडामालानी
वरीगाराम हसि्सा- 1/25 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBI शाखा गुडामालानी
हीराराम हसि्सा- 1/35 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार
ा हसि्सा- 1/150 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार SBBJ शाखा गुडामालानी
उदा हसि्सा- 1/25 जाति- वशि्नोई सा. देह खातेदार

राजकीय कार्य हेतु प्रमाणित

लूणवा जागीर

पटवारी (भू.अ.) तहसील गुडामालानी

केसाराम

सुरतानराम

पांचाराम

गंगाराम

9/9/024

मंगला राम
निरीक्षक (भू.अ.) रतनपुरा

9.9.2024 लूणवा जागीर

पटवारी (भू.अ.) तहसील गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना–पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए निवेदन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 48/36 दो हिस्सों में विभक्त हो रही है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 48/36 के सेढे से होकर रास्ता प्रस्तावित किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. -*** *(1) Where -*
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant* ***preferably*** *having the same price and adjoining to his land.*
> *(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.*
> *(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility,*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैः–

   1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

   2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

   3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–3 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 11.11.2024 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्य 37/38.4936 है0 मौजा लूणवा चारणान तक पहुंचने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 मौजा लूणवा चारणान में प्रार्थीगण के आने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः—

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते/सड़क को धारा—251—ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते/सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर केवल सुविधाजनक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

4. चतुर्थ स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह स्थिति हो सकती है कि जिन खसरों से रास्ते का अंकन नहीं चाहा गया है वो कोई प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि यथा—चारागाह, नदी, नाले आदि के खसरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि से होकर रास्ते के अंकन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल खातेदारी भूमि से होकर रास्ते का अंकन तथा प्रतिबंधित भूमि में रास्ते का गैर—अंकन अपेक्षित होता है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता की अनुपस्थिति रिकॉर्ड एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट प पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। उक्त प्रकरण स्थिति संख्या 01 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को नवीन रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आत्यांतिक प्रतीत होती है। इस प्रकार शर्त संख्या 02 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है।

लघुत्तम मार्ग का निर्धारण

11. अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा तृतीय शर्त *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव* बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु प्रार्थना—पत्र में आवेदित रास्ते ही लघुत्तम रास्ता है अथवा अप्रार्थी/तहसीलदार मौका रिपोर्ट द्वारा लघुत्तम रास्ते का अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित किया गया है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न दो स्थितियां सामने आती हैं:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता ही लघुत्तम रास्ते का विकल्प है। इस हेतु संबंधित तहसीलदार की मौका रिपोर्ट / स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण से उक्त शर्त की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते को ही लघुत्तम रास्ता माना जाना व्यावहारिक / कानूनन प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता के अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते / नजदीकी रास्ते का विकल्प प्रस्तावित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट / स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण एवं पत्रावली के तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के साथ–साथ निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते / नजदीकी रास्ते के मार्ग का निर्धारण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है:–

स्थिति	विवरण
1.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की सीमा।
2.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की व्यावहारिकता।
3.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की प्रार्थी की रहवास / घर के संदर्भ में व्यावहारिकता।
4.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प में आने वाली आराजी के रकबे की अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबे के संदर्भ में व्यावहारिकता।
5.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प में आने वाली आराजी के रकबे की क्षतिपूर्ति की प्रकृति (राशि / भूमि के बदले भूमि) के संदर्भ में व्यावहारिकता।
6.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर अप्रार्थीगणों के मध्य सहमति / असहमति के संदर्भ में व्यावहारिकता।
7.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित / तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते / नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

	पर प्रार्थी द्वारा पूर्व से आमद–रफत के संदर्भ में व्यावहारिकता।
8.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अन्य काश्तकारों को होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
9.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर निर्माण/वृक्ष व अन्य सम्पतियों की अवस्थिति के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
10.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अप्रार्थी के खसरे/संयुक्त खसरों/मौके पर एकल चकबंदी के खसरों के विखण्डन के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
11.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे/खसरों की संख्या के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
12.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे/खसरों के खातेदारो की एकलता/बहुलता के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
13.	अन्य बिन्दु जो न्यायालय प्रकरण–दर–प्रकरण आवश्यक समझे।

12. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी 37/38.4936 है0 मौजा लूणवा चारणान में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 मौजा लूणवा चारणान में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 मौजा लूणवा चारणान में से होकर 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 मौजा लूणवा चारणान से होकर लघुत्तम मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 37 तक पहुंच हेतु अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 से होकर नवीन रास्ता हाजा न्यायालय के पूर्वादेश दिनांक 17.04.2023 द्वारा स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपील आदेश दिनांक 07.02.2024 के द्वारा अपास्त करते हुए तहत अदालत हाजा न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि यथा संभव अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के टुकड़े नहीं करते हुए प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने के लिए निकटतम दूरी के विकल्पों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। इस पर अपीलीय न्यायालय के आदेशों की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। इसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। साथ ही प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। प्रकरण में मौके की स्थिति व अन्य वैकल्पिक रास्तों को ध्यान में रखते हुए स्थिति का चित्र निम्न प्रकार है–

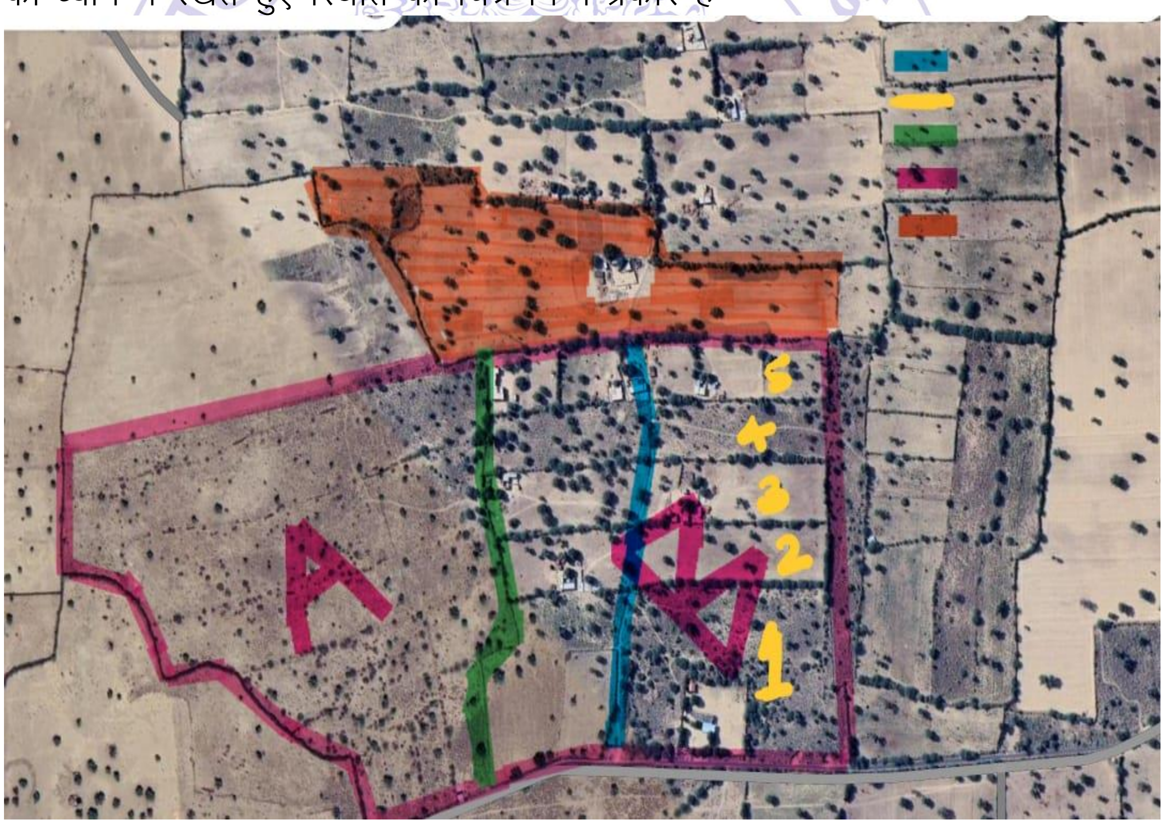

14. उक्त चित्र एवं मौका स्थिति से ज्ञात होता है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 में से तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 के लगभग मध्य से होकर खसरे के दो भाग करते हुए प्रस्तावित नवीन रास्ता कायम किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

15. उक्त चित्र में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 को गुलाबी रंग की सीमाओं से दर्शाया गया है। साथ ही प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 37 को केसरिया रंग की सीमाओं से दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 37 तक पहुंच हेतु रास्ते के विकल्प के रूप में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 से होकर प्रस्तावित नवीन मार्ग को हरे रंग की रेखा द्वारा दर्शाया गया है। असल में मौके पर खसरा संख्या 48/36 के सहखातेदारों द्वारा खसरा संख्या 48/36 का मौके पर विभाजन किया हुआ है। उक्त मौके पर किये गये विभाजन को उक्त चित्र में गुलाबी रंग से प्रदर्शित भाग– A तथा भाग– B द्वारा अंकित किया गया है। असल में खसरा संख्या 48/36 के सहकाश्तकार दो बड़े परिवारों से संबंधित है। खसरा संख्या 48/36 के सहकाश्तकार दो बड़े परिवारों में से एक परिवार में तीन भाई है। जबकि दूसरे परिवार में पांच भाई है। मौके पर भाग– A की जमीन पड़त है। जबकि मौके पर दूसरे परिवार के पांच भाईयों ने खसरा संख्या 48/36 के आधे हिस्से में आई भूमि का सड़क से लेकर खसरा संख्या 37 के मध्य सड़क के समानातर पांच पट्टीनुमा/आयताकार में वहामी विभाजन कर मौके पर कब्जे काश्त है। इस स्थिति को को उक्त चित्र में भाग– B में पीले रंग से क्रम संख्या 01, 02, 03, 04, 05 द्वारा अंकित किया गया है।

16. उक्त दोनों परिवारों के द्वारा खसरा संख्या 48/36 का मौके पर उक्तानुसार वहामी विभाजन किया जाकर बंटवारा किया हुआ है। उक्त दोनों परिवारों के द्वारा खसरा संख्या 48/36 का मौके पर किए गए उक्तानुसार वहामी बंटवारा की उक्त चित्र में हरे रंग की रेखा से प्रदर्शित मुख्य मेड़/सेढा के सहारें तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 48/36 में से नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त दोनों परिवारों के द्वारा खसरा संख्या 48/36 के मौके पर किए गए उक्तानुसार वहामी बंटवारा की उक्त चित्र में हरे रंग की रेखा से प्रदर्शित मुख्य मेड़/सेढा के सहारें प्रस्तावित नवीन रास्ता आधी चौड़ाई में एक परिवार की तरफ तथा आधी चौड़ाई में दूसरे परिवार की तरफ रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार खसरा संख्या 48/36 के मध्य से प्रस्तावित नवीन रास्ता रिकॉर्ड में खसरा संख्या 48/36 के केवल नक्शे के अवलोकन से खसरा संख्या 48/36 के दो भाग करता प्रतीत होता है। परंतु असल में ऐसा नहीं है। असल में खसरा संख्या 48/36 के मध्य से प्रस्तावित नवीन रास्ता मौके पर पूर्व से ही खसरा संख्या 48/36 के सहखातेदारों द्वारा किए गए उक्तानुसार विभाजन के उक्त चित्र में हरे रंग की रेखा से प्रदर्शित स्थाई सेढे के सहारे प्रस्तावित किया गया है। असल में खसरा संख्या 48/36 के मध्य से प्रस्तावित नवीन रास्ता मौके पर पूर्व से ही खसरा संख्या 48/36 के सहखातेदारों द्वारा किए गए उक्तानुसार विभाजन के उक्त चित्र में हरे रंग की रेखा से प्रदर्शित स्थाई सेढे के सहारे प्रस्तावित किए जाने से मौके पर खसरा संख्या 48/36 का विखंडन नहीं होता है।

17. प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी 37 तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 48/36 से प्रस्तावित नवीन रास्ते के वैकल्पिक रास्ते के रूप में विकल्प का मौका देखा गया। उक्त प्रार्थी की खातेदारी आराजी 37 तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 48/36 से प्रस्तावित नवीन रास्ते के वैकल्पिक रास्ते के रूप में विकल्प का सेटेलाईट नक्शा के अवलोकन से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

ज्ञात होता है कि खसरा संख्या 48/36 के दूसरे परिवार के पांच भाईयों द्वारा खसरा संख्या 48/36 के आयताकारनुमा विभाजन कर मौके पर बनाए गए खेतों के लगभग मध्य से होकर मौके पर उक्त चित्र में आसमानी रंग की रेखा से प्रदर्शित एक अस्थाई रास्ता चालु है। उक्त उक्त चित्र में आसमानी रंग की रेखा से प्रदर्शित मौके पर चालु रास्ता तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्तावित रास्ता का वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। परंतु खसरा संख्या 48/36 के दूसरे परिवार के पांच भाईयों द्वारा खसरा संख्या 48/36 के आयताकारनुमा विभाजन कर मौके पर बनाए गए खेतों के लगभग मध्य से होकर उक्त चित्र में आसमानी रंग की रेखा से प्रदर्शित मौके पर चालु अस्थाई रास्ता असल में खसरा संख्या 48/36 का विखंडन करता है। अगर उक्त चित्र में आसमानी रंग की रेखा से प्रदर्शित मौके पर चालु रास्ते से होकर नवीन रास्ता कायम किया जाता है तो यह वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 48/36 के दूसरे परिवार के पांच भाईयों द्वारा खसरा संख्या 48/36 के आयताकारनुमा विभाजन कर मौके पर बनाए गए सभी खेतों का विखंडन करता है। जबकि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग दो वृहत परिवारों के द्वारा मौके पर किए गए स्थाई विभाजन के उक्त चित्र में हरे रंग की रेखा से प्रदर्शित सेढे से होकर खसरा संख्या 48/36 का विखंडन करता है। इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग असल में खसरा संख्या 48/36 का विखंडन नहीं करता है। अपितु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग से खसरा संख्या 48/36 के सहखातेदारों अप्राथीगण द्वारा मौके पर बनाए गए सभी खेतों को बिना विखंडन किए प्रार्थी के साथ–साथ रास्ता कायम होता है। उक्त दोनो विकल्पों के अलावा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 48/36 के मध्य से प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग ही प्रकरण में अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा असल में खसरा संख्या 48/36 के खातेदारों के मौके पर बनाए गए खेतों का बिना विखंडन किए सभी अप्रार्थीगण के साथ साथ प्रार्थी के खातेदारी खसरें 37 तक पहुंच रास्ता उपलब्ध कराने हेतु सर्वोतम विकल्प प्रतीत होता है।

18. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 48/36 के मध्य से लाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested

रंग से अंकित कर प्रस्तावित लघुत्तम मार्ग बतौर 30 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं विश्लेषित निष्कर्षानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 48/36 मौजा लूणवा चारणान से लाल रंग से अंकित मार्ग से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 37/38.4936 है0 मौजा लूणवा चारणान तक प्रार्थी द्वारा वांछित/इच्छित चौडाई, जो कि चौडाई में अधिकतम 30 फीट तक हो, प्रार्थी द्वारा आवेदित चौडाई के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम—70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के नियमानुसार भुगतान पश्चात् उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित पत्रांक/भू.अ./2024/2278 दिनांक 11.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:33 IST
Reason: SelfAttested